

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(1)/ग्रावि-3/नरेगा/08-09 जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त, राजस्थान।

12 FEB 2009

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये गये सी.सी. रोड़ के स्थान पर पत्थर, खरंजा या ईट खरंजा निर्माण की स्वीकृति जारी करने के क्रम में

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार रोड़ निर्माण के कार्यों को शामिल किया गया है। वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित सी.सी. रोड़ निर्माण के कार्य शामिल होने की स्थिति में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर उसके स्थान पर पत्थर खरंजा या ईट खरंजा के कार्य कराये जा सकते हैं।

भवदीय,

(जी.एस. संबधु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त(राजस्थान) को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

परि.निदे.एवं उप सचिव (ग्रा.रे.)